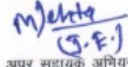


244

परियोजना का नाम :- पी.एम.जी.एस.वाई के अन्तर्गत फेज -11 नौला से थिरौली
मोटर मार्ग। लम्बाई 10.5 किमी.

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत पी.एम.जी.एस.वाई के अन्तर्गत
फेज-11 नौला से थिरौली मोटर मार्ग हेतु सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव बैंक लिस्ट के
अनुसार तैयार किया गया है।


अपर सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई खण्ड लोअर विंग
अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई खण्ड लोअर विंग
लोक निर्माण विभाग
द्वारा (अल्मोड़ा)


अधिसारी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई खण्ड लोअर विंग
लोक निर्माण विभाग
द्वारा (अल्मोड़ा)

2.44a

फैक्ट सीट

1- परियोजना का नाम :- पी.एम.जी.एस.वाई के अन्तर्गत फेज -11 नौला से थिरौली मोटर मार्ग। लम्बाई 10 किमी.

प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है0 में)	- -
आरक्षित वन भूमि	- -
सिविल एवं सोयम वन भूमि	- 5.427 है0
वन पंचायत भूमि	- -
निजी भूमि	- 4.023 है0
2. प्रस्तावक विभाग का नाम :-	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा
3. वन प्रभाग का नाम :-	वन प्रभाग अल्मोड़ा।
4. प्रस्ताव बाईडिंग किया गया है :-	हाँ / नहीं
5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है :-	हाँ / नहीं
6. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग - 1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है:-	हाँ / नहीं
7. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है -	हाँ / नहीं
8. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है -	हाँ / नहीं
9. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची / प्रमाण पत्र संलग्न है -	हाँ / नहीं
10. बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है - बांज के वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।	हाँ / नहीं
11. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है -	हाँ / नहीं
12. समरेखन में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है -	हाँ / नहीं
13. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है -	हाँ / नहीं
14. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है -	हाँ / नहीं
15. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है -	हाँ / नहीं
16. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर / परियोजना के आस-पास रिक्त स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है -	हाँ / नहीं
17. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है -	हाँ / नहीं
18. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है।	हाँ / नहीं
यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है:-आवश्यक नहीं है।	हाँ / नहीं
20. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है।	हाँ / नहीं

2.44 b

21. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है- (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) ~~हाँ~~ नहीं है।
22. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार के भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है - ~~हाँ~~ / नहीं
23. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है - ~~हाँ~~ / नहीं
24. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है - ~~हाँ~~ / नहीं
25. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय। ~~हाँ~~ / नहीं
26. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनाएं / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाया गया है - ~~हाँ~~ / नहीं
27. वैकल्पिक समरेखण को निरस्त करने का कारण, (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)
28. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है - ~~हाँ~~ / नहीं
(5 है0 से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)
29. मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है - ~~हाँ~~ / नहीं
30. मलुवें के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है - ~~हाँ~~ / नहीं
अथवा
मलुवें के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है - ~~हाँ~~ / नहीं
31. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली भारों का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है- ~~हाँ~~ / नहीं
32. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां मूल रूप में संलग्न है:
यदि छाया प्रतियां संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित हैं - ~~हाँ~~ / नहीं
33. यदि सिविल सोयम भूमिलीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है- ~~हाँ~~ / नहीं
34. वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है - ~~हाँ~~ / नहीं
35. क्या बैंक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न हैं - ~~हाँ~~ / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैंक्ट सीट एवं बैंक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण पत्र / सूचनाएं संलग्न कर दी गई हैं।

अधिरासी अभियन्ता
पिनकोड 400005
लोक निर्माण विभाग
द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

हस्ताक्षर
प्रस्तावक विभाग / प्रशासक, वन अधिकारी
प्रमोदी वन प्रभाग, अल्मोड़ा

2.44C

प्रारूप-2

भाग-1 (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नाम- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौला से थिरोली मोटर मार्ग का निर्माण।

1.	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौला से थिरोली मोटर मार्ग का निर्माण।		
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।		
	ग) परियोजना की लागत।	895.64 लाख (अनुमानित)		
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों का भी सर्वेक्षण किया गया। तकनीकी दृष्टि से अन्य स्थानों पर मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।		
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	लागू नहीं है।		
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	मोटर मार्ग के निर्माण से क्षेत्रीय ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा एवं उनके द्वारा उत्पादित फल एवं सब्जी को बजार तक जाने में सुविधा होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा जिससे ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त होगा।		
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	वनपंचायत भूमि	सिविल सोयम भूमि	कुल भूमि (है0में)
		0.00 है0	5.427 है0	5.427 है0
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	कोई नहीं		
	क) परिवारों की संख्या	कोई नहीं		
	ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	कोई नहीं		
	ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	आवश्यकता नहीं है।		
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)	नहीं		
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	सभी प्रमाणपत्र प्रस्ताव में संलग्न है।		
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।	संलग्न है।		

दिनांक 26/01/2015
स्थान 21/3/12(प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर)
नाम अविनाश अभियन्ता
मोहर पी0ए0जी0ए0स0बी0 जन्म
लाके निर्माण विभाग
झरखण्ड (अल्मोड़ा)K/S
अभिमानM/Chit
कनिष्ठ अभियन्ता.

सहायक अभियन्ता,

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति	
(i) राज्य / संघराज्यक्षेत्र	
(ii) जिला	
(iii) जिला वन प्रभाग	
(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	
17. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति:	
18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:	
(i) वन-का प्रकार	
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व	
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	
(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा	
19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी	
20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :	
21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :	
(i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :	
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	
(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	
(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र	

23. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दें :	
(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	
(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है।	
24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :	
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)	
(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्फलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही	
(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)	
25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :	
(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।	
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।	
(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं।	
(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।	
(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिचय :	
(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।	
26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न हैं (हां/नहीं)।	
27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों	